बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9 / आ0–04–71 / 2023(स्वा0) .... / पटना, दिनांकः–..

सिविल सर्जन, बेगूसराय के पत्रांक–03 दिनांक–02.01.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि डॉ० प्रियंका भारती, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, तेघडा, बेगूसराय दिनांक–01.03.2021 से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित है।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोप के आलोक मे विभागीय संकल्प सं०–507(9) दिनांक–16.05.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) में डॉ० भारती के विरूद्ध दिनांक–01.03.2022 से 04.04.2023 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के गठित आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया।

3. विभागीय पत्रांक–1777(9) दिनांक–22.12.2023 एवं 189(9) दिनांक–02.02.2024 द्वारा डॉ० भारती से द्वितीय कारण–पृच्छा की गयी। पुन दिनांक–12.06.2024 को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी डॉ० भारती से द्वितीय कारण–पृच्छा की गयी, लेकिन प्रत्युत्तर अप्राप्त रहा। इससे यह प्रतीत होता है कि इन्हें अपने अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के संबंध में कुछ नहीं कहना है। अतः ये दोषी प्रतीत होती है।

4. सिविल सर्जन, बेगूसराय के पत्रांक–2268 दिनांक–29.12.2023 द्वारा सूचित किया गया है कि विभागीय आदेश सं०–591(3) दिनाक–01.09.2023 के आलोक में डॉ० भारती को उच्चतर शिक्षा हेतु विरमित कर दिया गया है।

5. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मामले कि सम्यक समीक्षोपरान्त डॉ० भारती के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(VI) के अधीन सचयात्मक प्रभाव से 01 (एक) वेतन वृद्धि पर रोक, PG अध्ययन के पश्चात् योगदान करने के वर्ष से लागू होने की शास्ति अधिरोपित करने एवं डॉ० भारती को दिनांक–01.03.2022 से 04.04.2023 तक की अवधि को कार्य नहीं तो वेतन वेतन नही (No Work No Pay) के साथ इस अवधि की गणना प्रोन्नति, DACP आदि में लाभ नहीं दिया जाएगा का दण्ड अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

6. उक्त अधिरोपित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–4824 दिनांक–06.03.2025 द्वारा सहमति प्राप्त है।

7. डॉ० प्रियंका भारती, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, तेघडा, बेगूसराय को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(VI) के अधीन संचयात्मक प्रभाव से 01 (एक) वेतन वृद्धि पर रोक, PG अध्ययन के पश्चात् योगदान करने के वर्ष से लागू होने की शास्ति अधिरोपित करने एवं डॉ० भारती को दिनांक–01.03.2022 से 04.04.2023 तक की अवधि को कार्य नहीं तो वेतन वेतन नहीं (No Work No Pay) के साथ इस अवधि की गणना प्रोन्नति, DACP आदि में लाभ नहीं दिया जाएगा का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

8. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / –
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।
21/03/2025

(1)

ज्ञापांकः–9 / आ0–04–71 / 2023(स्वा0) 297(9) / पटना, दिनांकः– 21.3.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (लेखा0 एवं हक0) बिहार पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, बेगूसराय / कोषागार पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर / सिविल सर्जन, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव / सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐ, बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–डॉ० प्रियंका भारती, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, तेघडा, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

21/03/2025

सरकार के अवर सचिव।